कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी कन्नौज।

पत्रॉक /एनआरजीए/मुद्रण प्रपत्र/2011–12 दिनॉक

अल्पकालीन निविदा सूचना

1. निविदा प्राप्ति का दिनॉक व समय	किसी भी समय व कार्य दिवस में प्रातः10.00 बजे से 5.00 बजे तक
2. निविदा डाले जाने का दिनॉक व समय	25.11.11 की सायं 2.00 बजे तक
3. निविदा खोले जाने का दिनॉक व समय	25.11.11 की सायं 4.00 बजे
4. निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू0–200/–
5. अग्रिम धनराशि	5000/–
6. जमानत धनराशि	10 प्रतिशत(निविदा स्वीकृत के पश्चात)

क्र	सामग्री/प्रपत्र का नाम	विशिष्टतायें
1–	**मस्टर रोल**	**12×15, 60 जीएसएम, ओरियन्ट पेपर, 1सेट–1+1+कार्बन**

निविदा की शर्तेः–

1. निविदा दाता को अपनी संस्था का पूरा नाम, टेलीफोन/मोबाइल नम्बर, व्यापार कर पंजीयन संख्या, आयकर, पैन संख्या, आदि प्रस्तुत निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त अंकित सामग्री निर्धारित मानक के अनुसार फर्म द्वारा मुद्रित कराकर आपूर्ति की जायेगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ कागज का नमूना, फर्म की मुहर हस्ताक्षर युक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. आपूर्ति किये जाने वाले प्रपत्रों के कागज के कागज नमूने के अनुरूप होने चहिये। आपूर्ति प्रपत्रों की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक/अधोहस्ताक्षरी को अपने विवके से कटौती करने का अधिकार होगा।
5. आपूर्ति के आदेश तत्कालिक व्यवस्था के अनुरूप दिये जायेगे, जिसे निर्धारित समय में मुद्रित कर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा तथा मुद्रण का कार्य अपसेट मशीन से किया जायेगा।
6. निविदा के साथ 5000/–(पॉच हजार मात्र) की अर्नेस्टमनी राशि को बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा जो मुख्य विकास अधिकारी /जिला कार्यक्रम समन्वयक कन्नौज के नाम देय होगा।
7. सफल टेंडरदाता को 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करनी होगी जो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।
8. इस करर्य हेतु फर्म को कोई अग्रिम देय नही होगा।
9. फर्म को भुगतान आयकर एवं व्यापर कर की कटौती करने के पश्चात ही किया जायेगा।
10. बिना कारण बताये कोई भी अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक कन्नौज में निहित होगा।
11. आपूर्ति आदि की सुभलता को देखते हुये अधोहस्ताक्षरी को निर्णय करने का अधिकार होगा।
12. यदि निविदा दाता समय के अन्दर सामग्री का आपर्ति नही कर पाता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
13. आपूर्ति किये जाने वाले प्रपत्रों को कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक कन्नौज तक पहुॅचाना होगा। इसके लिये अलग से कोई ढुलाई भाड़ा नही दिया जायेगा।
14. विभागीय निविदा प्रपत्र से भिन्न एवं सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

15. स्वीकृत की गयी निविदा के निविदादाता को उपरोक्त वर्णित नियम/शर्त के अनुपालन सम्बन्धी नोटरी/शपथ पत्र (100 रू0 के नान जूडिशियल स्टाम पेपर पर) प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात ही कार्य आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा।

16. निविदा फार्म 200/– रू0 के मूल्य पर जो दिनॉक 25.11.11 तक किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जनपद– कन्नौज से प्राप्त किया जा सकता है।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में जनपद कन्नौज के ही न्यायालय में विवाद प्रस्तुत किया जायेगा।

(एम0पी0सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी/
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
ज्नपद–कन्नौज

पत्रॉक /दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः–1–जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से कि जिलाधिकारी महोदय, के कार्यालय आदेश संख्या 50 दिनॉक 31.10.11 के॰क्रम में कि कृपया उक्त अल्पकालीन निविदा सूचना का विज्ञापन दिनॉक 16.11.11के अंक में कम से कम स्थान पर डी0ए0वी0पी दर पर कराने का कष्ट करें।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कन्नौज को इस आशय से कि कृपया उक्त अल्पकालीन निविदा सूचना एनआईसी की वेबसाइड पर डालने का कष्ट करें।

3– परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कन्नौज को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

4– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी/
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जनपद–कन्नौज